स्वास्थ्य का संघर्ष एक बेहतर, समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने का संघर्ष है

चौथी जन स्वास्थ्य सभा का घोषणा पत्र
सावर, बांग्लादेश, 15-19 नवम्बर 2018

यह घोषणापत्र अमित सेनगुप्ता की स्मृति और उनके जज़्बे से प्रेरित है। अमित एक बेहतर, स्वस्थ और समतामूलक समाज के निर्माण में अडिग रहे, उनका समर्पण पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के कार्यकर्ताओं को भविष्य में भी प्रेरित करता रहेगा।

हमारे संघर्ष

महीनों की तैयारी, कई राष्ट्रीय व स्थानीय जन सभाएं करने के बाद हम दुनिया के भिन्न क्षेत्रों से 73 देशों के 1400 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सावर, बांग्लादेश में मिले। 6 साल पहले केप टाउन में हुए सम्मेलन में हमने स्वास्थ्य सम्बन्धी जो संकल्प लिए थे उनकी पुनःपुष्टि की, जिसे अमित के शब्दों में कहा जाए तो हम एक बेहतर, समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने के संघर्ष के रूप में देखते हैं।

स्वास्थ्य के लिए जनादेश 2000 और क्वेंका घोषणापत्र 2005 में जन स्वास्थ्य की जो कल्पना लोगों के समक्ष रखी गयी वह वर्तमान समय में बीमारियों और असमानता के जड़ की विवेचना करते हुए और भी प्रासंगिक जान पड़ती है। हम यह पाते हैं कि यह व्यवस्था बदलना तो दूर, हमारे समाज में इनकी पैठ और गहरी हुई है। इनकी जड़ पितृसत्ता, जातिवाद, नस्लवाद, धार्मिक रूढ़ीवाद, विकलांगता के प्रति नीच भाव, ट्रान्स-जेंडर लोगों के प्रति घृणा भाव और यौनिकता की रूढ़ीवादी समझ में निहित है। इस व्यवस्था को विकास की मौजूदा परिभाषा से बल मिलता है जो व्यक्तिवाद और नवउदारवादी पूंजीवाद का प्रतिबिंब है। विश्व भर में जहां एक ओर समुदाय जल, जंगल, जमीन और रोजगार से वंचित हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर समुदाय बढती हुई सैन्यकरण से प्रभावित हो रही है, उन पर हिंसा व अत्याचार में वृद्धि हुई है और उनके अधिकारों का दमन हुआ है।

इस प्रकार के ढांचेगत व्यवस्था ने बहुदेशीय कंपनीयों के वर्चस्व को बढ़ावा दिया है जिसके परिणामस्वरूप उनके मुनाफ़े में कई गुना वृद्धि हुई है और बहुदेशीय कंपनी के अधिकारियों और शेयर धारकों के एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ है जिनकी संपत्ति और सत्ता पर नियंत्रण हमारे समाज के स्वास्थ्य, न्याय व समता के लिए खतरा बन गया है। कॉर्पोरेट पूंजीवाद के कारण राष्ट्रों की सम्प्रभुता का एक नियोजित रूप से स्खलन किया गया है और वे जनता के हक और विशेषाधिकार सुनिश्चित करने के बजाय मुनाफाखोरों के हितों की रक्षा करने में जुटे हैं। कम्पनियाँ धड़ल्ले से पारितंत्र और जैव विविधता को तहस-नहस कर रही हैं, टनों जहरीला कचरा उत्सर्जित कर रही हैं जिसके कारण लोगों की जीवनशैली, उसकी विविधता और सांस्कृतिक पहचान पर खतरा मंडरा रहा है। दीर्घकालिक संकट और उनकी जटिलता, जलवायु परिवर्तन, विस्थापन और निजता के अधिकार पर हमला, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो नित्य नई चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। ये मुद्दे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार नीतियों के सहयोग से विकास के एक ऐसे परिमाण की रचना कर रहे हैं जिसमें समता और न्याय अवहनीय है। इस जटिल सामाजिक परिवेश में सबके लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है।

इस जटिल परिवेश में हम स्वास्थ्य के अधिकार के अपने संघर्ष को स्थापित करते हैं ताकि एक नया सामाजिक ढांचा बन सके जहाँ समता, सौहार्द, करुणा, मानवता, न्याय और एकजुटता हो जिससे मानव जीवन एवं परिवेश की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

स्वास्थ्य का संकट पूंजीवादी ढाँचे की देन है

वैश्विक पूंजीवाद के मौजूदा संकट से उभरने के लिए अमीर देश, बहुदेशीय कंपनीयों के साथ मिलकर नवउदारवादी नीतियों को बढ़ावा देने में लगे हैं। इन नीतियों से सिर्फ बहुद्देशीय पूंजीवादी वर्ग के हितों का बचाव होता है। एकतरफ़ा 'व्यापार व निवेश' समझौतों के एक वृहत जाल में मध्यम व निम्न आय वर्ग के देशों को फंसाया जा रहा है, वे या तो मजबूरी में इन एकतरफ़ा व्यापार नीतियों को मान रहे हैं या ये नीतियाँ उन पर थोपी जा रही हैं। फलस्वरूप देशों के सामाजिक ढाँचे पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो जन स्वास्थ्य नीतियों के निर्धारण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसी नीतियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के मौलिक कारक और बिगड़ रहें हैं, और स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। ये नीतियां देशों के सरकारों को बढ़ावा दे रही हैं कि वे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से मुह मोडें, और साथ ही साथ देशों को स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण और बीमा व्यवस्था के जाल में फंसा रही हैं।

पीपल्स हेल्थ मूवमेंट का वैकल्पिक दृष्टिकोण: समता, परिविष्ट संपोषण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य

हमारी कल्पना है कि देशों के बीच और अंतर्देशीय स्तर पर लोगों के बीच कोई भेद-भाव न हो और सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार मिले। हम यह पुनः कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य समाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय न्याय का परिणाम है| हम एक ऐसी दुनिया की कामना करते हैं जहाँ वैश्विक, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच करुणा, सौहार्द, समता हो, जहाँ लोग एक-दूसरे और पर्यावरण का आदर करते हों और जहाँ लोगों के बीच लिंग, जाती, नस्ल, रंग, विकलांगता, धर्म, रोजगार, नागरिकता के

आधार पर कोई भेद-भाव न हो, एक ऐसा समाज जहां सभी मनुष्यों और समुदायों का सशक्तिकरण हो, सबके लिए स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को एक सा दर्जा मिले, सभी जीवों की गरिमा का आदर हो और इन मूल्यों को प्रोत्साहन दिया जाए।

हम मांग करते हैं कि सभी सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित संयुक्य राष्ट्र की संस्थायें जनता के प्रति जवाबदेही हो न कि बहुदेशीय मुनाफाखोर कंपनीयों और उनके दलालों के प्रति। हम मांग करते हैं कि ये संस्थान स्वास्थ्य और पर्यावरण सम्बन्धी अधिकार लागू करें और सुनिश्चित करें कि उनका पालन हो। हम यह भी मांग करते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा हो जो स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा करने में संघर्ष कर रहे हैं और उन कंपनीयों पर अंकुश लगे जो निर्भीक हो, बिना किसी सज़ा के पर्यावरण और लोगों के जीवन व स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं और उनकी निरंतरता के लिए खतरा बन चुके हैं।

हम चाहते हैं कि लोक स्वास्थ्य व्यवस्था निष्पक्ष, सार्वभौम, सन्दर्भ-उपयुक्त व समेकित हो – न कि ऐसी व्यवस्था जो भेद-भाव करती हो, लोगों को अशक्त बनाती हो और निजी फायदे और मुनाफे के प्रति समर्पित हो। एक ऐसी व्यवस्था जो उपयुक्त कार्यवाही के लिए मंच प्रदान करती हो जिससे सामजिक कारकों को प्रभावित करने के साथ-साथ वर्तमान सत्ता में भी मौलिक बदलाव किये जा सकें।

हमारा संकल्प

जैसा हमने केप टाउन कॉल टू एक्शन (2012) में अभिपुष्ट किया था कि कोई भी बदलाव समुदायों के राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के बिना एवं लोगों को संगठित किये बिना संभव नहीं है। पी.एच.एम के कार्यकर्ता यह संकल्प लेते हैं कि वे जन आन्दोलनों और उन आन्दोलनों के बीच की दूरी कम करने को समर्पित रहेंगे जो लोगों के जल, जंगल, जमीन, आजीविका और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हों और जो बहुदेशीय कंपनीयों एवं उन सरकारी तंत्रों के दमन की खिलाफत करते हों जो बहुद्देशीय कंपनीयों के हितों की रक्षा करती हों।

हम संकल्प लेते हैं कि पी. एच. एम के सन्चालन को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जेंडर-आधारित न्याय के प्रति समर्पित बनाये रखते हुए उसे और भी मजबूती देंगे। हम संकल्प करते हैं कि नए राष्ट्रीय समूहों का गठन करेंगे और मौजूदा समूहों को और सशक्त बनायेंगे। हम उन नए जन आन्दोलनों और स्वास्थ्य आन्दोलनों को जोड़ेंगे, जिनकी विचारधारा हमारे समान है, खास कर युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर के अभियान के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। इससे अभियान की विविधता का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा|

हमारा काम निकट भविष्य में मुख्यतः छः विषयकों और कार्य क्षेत्रों पर केन्द्रित होगा जिसके निर्धारित लक्ष्य होंगे, परन्तु हम नए विषयकों और कार्य क्षेत्रों को अपने आगामी दीर्घकालिक योजनाओं में शामिल करने के लिए तत्पर रहेंगे। उदाहरण के तौर पर लोगों और समुदायों के परिविष्ट एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी पारंपरिक ज्ञान को हम महत्व देते हैं, जो संघर्ष को शक्ति प्रदान करते हैं एवं निवर्तमान हावी स्वास्थ्य के जैवचिकित्सीय धारणा को चुनौती देते हैं।

जेंडर आधारित न्याय एवं स्वास्थ्य

पी.एच.एम जेंडर की एक ऐसी समझ और विश्लेषण को प्रोत्साहित करता है जो महिला/पुरुष की द्विचर समझ से बढ़कर समलैंगिक, उभयलिंगी, अंतर्लैंगिक और किन्नर समुदाय की एक अद्विचर समझ है। जेंडर पी.एच.एम के सभी विषयकों से जुड़ा हुआ एक अनुप्रस्थ काट मामला है जिसे पी.एच.एम सभी विचार-विमर्श, सभा व आयोजनों में सम्मिलित करता है।

पी.एच.एम मानता है कि जेंडर आधारित हिंसा अत्याचार को बढ़ावा देने वाली अन्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है एवं इसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य व कुशल-क्षेम पर बुरा असर पड़ता है। यद्यपि भिन्न अवसरों और प्रसंगों में यह अलग-अलग रूप से प्रगट होता है परन्तु जेंडर आधारित असमता, भेद-भाव व हिंसा सार्वभौमिक मसला है। पी.एच.एम संज्ञान लेता है कि महिलाओं के अलावा बच्चे, और वह व्यक्ति जिनके जेंडर और यौनिक चुनाव समाज के अनुसार गैर-प्रामाणिक हों वे भी जेंडर आधारित हिंसा का शिकार होते हैं। जेंडर आधारित हिंसा का शिकार होने की भेद्यता विकलांगता, जाती, नस्ल, धर्म, रंग, रोजगार, युद्ध की स्थिति वाले क्षेत्रों में, आर्थिक व सामाजिक स्थिति से भी प्रभावित होती है।

जेंडर आधारित न्याय व स्वास्थ्य एक दूसरे का परस्पर प्रबलीकरण करते हैं और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की राह में केंद्रीय स्तंभ हैं। पी.एच.एम व्यापक आर्थिक नीतियों और विकास के मौजूदा आयाम के जेंडर के आधार पर होने वाले प्रभावों की गहन जांच करता है और उन घरेलू नीतियों, स्थानीय कानूनों की भी पड़ताल करता है जो भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण हैं एवं सार्वभौमिक सुगम्य स्वास्थ्य सुनिश्चित करने कि दिशा में बाधक हैं।

जेंडर आधारित न्याय की ओर अग्रसर पी.एच.एम संकल्प लेता है कि:

- स्वास्थ्य सेवाओं और प्रजनन एवं यौनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे जिसमें महिलाओं, बच्चों, समलैंगिक, उभयलिंगी, अंतर्लैंगिक और किन्नर समुदाय के लोगों के साथ-साथ जातीय व नस्लीय अल्पसंखकों तथा विकलांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान हो|
- सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्था जिससे वैश्विक एवं स्थानीय स्तर पर जेंडर आधारित असमानता व अन्याय को बल मिलता हो उनका विरोध करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे|
- दुनिया भर के भिन्न हिस्सों से लोगों के अनुभव, शोध व गवाही इकट्ठी करेंगे ताकि एक ऐसा वैश्विक अभियान खड़ा किया जा सके जो व्यक्तिगत जेंडर आधारित न्याय पर आधारित हो एवं लोगों के प्रति जवाबदेह स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने की पैरवी करने में मददगार हो|
- जेंडर आधारित न्याय एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी चिह्नित मुद्दों पर काम कर रहे महिला संगठन, जन आन्दोलन और अन्य समूहों एवं गठबन्धनों को लामबंद करेंगे और उनके बीच होने वाले परस्पर आदान-प्रदान को और मजबूत बनायेंगे|
- विश्व भर में ऐसे कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे जिनके इस्तेमाल से यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर हमले किये जा रहे हैं-जैसे कि वैश्विक प्रतिबंध के नियम|
- लोगों को, विशेष कर युवाओं को संगठित करेंगे, उनका क्षमता वर्धन कर जेंडर आधारित न्याय व स्वास्थ्य के संघर्ष को मजबूत बनायेंगे इसमें इंटरनेशनल पीपल्स हेल्थ यूनिवर्सिटी एवं ऐसे ही अन्य कारक सहायक हो सकते हैं|

पर्यावरण एवं परितन्त्रिक स्वास्थ्य

अधिकतम मुनाफा और न्यूनतम जवाबदेही वाली नवउदारवादी नीतियों का बढ़ता वर्चस्व प्रदूषण फैलाने वाली तकनीकों और उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ अतिशय उपभोग पर आधारित एक अवहनीय जीवनशैली को भी प्रोत्साहन दे रहा है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण को अपरिवर्तनीय नुकसान हुए हैं जैसे कि भूमि कि गुणवत्ता, पेय जल के स्रोत और जैव विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ा है। खनन क्षेत्र एवं उद्धरण में वृद्धि और वैश्विक बाजार के लिए आधुनिक खेती में बढ़ोतरी इसके कुछ उदाहरण मात्र हैं। विकास की यह नीति साफ तौर पर पर्यावरण के वृहत दोहन और विनाश का कारण है एवं बड़ी मात्रा में कचरा पैदा कर रही है जिसमें आणविक व जहरीले रसायन और कीटनाशक दोनों ही शामिल हैं जिसकी वजह से भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, ओज़ोन परत को नुकसान हुआ है और जलवायु परिवर्तन हुआ है जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही इन प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर समाज के सबसे वंचित हिस्से से आते हैं। उद्योगों द्वारा इन मजबूर श्रमिकों का दोहन करने के लिए लगातार नियम-कानूनों का उल्लंघन किया गया है और उन्हें असुरक्षित कार्यस्थल पर काम करने को मजबूर किया गया है।

यह मानते हुए कि हमारा स्वास्थ्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है पी.एच.एम पारितंत्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हुए संकल्प करता है कि:

- उद्धरण करने वाले उद्योगों जिनका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, उनके विरूद्ध एक वैश्विक अभियान का निर्माण करेगा|
- ऐसे संगठनों का समर्थन व सहयोग करेगा जो उद्धरण करने वाले उद्योगों का विरोध करते हों एवं भूमि अधिकार, पर्यावरण अधिकार व मानवाधिकार मुद्दों पर काम करने वाले जन संगठनों के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत करेगा|
- पर्यावरण न्याय के मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर होने वाले दमन, अपराधीकरण और उनकी न्यायेतर हत्या की कठोर निंदा करेगा|
- ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ावा देगा जो पर्यावरण के लिए हानिकारक न हों और जो स्वस्थ पारितंत्र सुनिश्चित करने में सहायक हों|
- काम के ऐसे ढांचों को समर्थन देगाजो सुरक्षित व स्वस्थ कार्य एवं उत्पादन के तंत्र को बढ़ावा देते हों|
- श्रमिक अधिकारों की पैरवी करने वाले उन समूहों का सहयोग करेगा जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल की लड़ाई लड़ रहे हों|

भोजन एवं खाद्य सम्प्रभुता

पी.एच.एम का यह मानना है कि हमारी असमान और अरक्षणीय खाद्य व्यवस्था हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालती है ख़ास तौर से इसका प्रभाव कुपोषण के तीहरे बोझ व असंक्रामक बीमारी की महामारी के रूप में प्रकट होता है। हमारे आज के वैश्विक समाज में दोनों ही समस्याओं- कुपोषण और अधिक-पोषण- की मूल जड़ है खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, विक्रय और व्यापार की व्यवस्था के मौजूदा तरीकें | साथ ही साथ उन दो वर्गों केसत्ता में असमानता, एक वो जो इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरे जो इससे सबसे ज्यादा खतरे में हैं, वे भी इन दो समस्यायों को प्रभावित करते हैं। खाने-पीने की सामग्री का उत्पादन करने वाली बड़ी कंपनीयों का जिस तरह तेज़ी से बिना किसी निगरानी के विस्तार हुआ है और जिस प्रकार से प्रसंस्करण किए हुए खाद्य पदार्थों की बाज़ार में पहुँच बढ़ी है, उससे कुपोषण की समस्या और गहरा गई है जिसके फलस्वरूप खाद्य असुरक्षा में भी बढ़ोतरी हुई है।

पी.एच.एम प्रस्ताव रखता है कि:

- एक ऐसी खाद्य व्यवस्था का निर्माण किया जाये जो 'बीज से लेकर थाली तक' समान, न्यायोचित व न्यायसंगत हो और जो मनुष्य के पोषण के अविच्छेद्य अधिकार पर आधारित हो|
- भोजन एवं पोषण के मुद्दों का उपयुक्त राजनीतिकरण किया जाए, जिससे कि भोजन और पोषण सम्बन्धी राजनैतिक अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर समझ बने|
- भोजन एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच नकारात्मक सम्बन्धों, जैसे कि कॉर्पोरेट द्वारा प्रतिकूल प्रभाव, पर जागरूकता की जाए| साथ ही बहु-हितधारक 'समाधानों' जैसे कि संयुत राष्ट्र की पहल 'स्केलिंग उप न्यूट्रीशन' की समस्याओं पे विवेचना करेंगे|
- बहुदेशीय खाद्य कंपनीयों के बढ़ते वर्चस्व का प्रतिरोध करेंगे|
- लोगों के बीच फैलाए जा रहे पोषण के व्यक्तिवादी और तकनीकी सोच के झूठ का भंडाफोड़ कर उन्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि एक बेहतर और न्यायोचित खाद्य व्यवस्था का निर्माण कैसे किया जा सकता है। पी.एच.एम और कृषि-परिवेष्टक संगठनों के बीच की दूरी कम करेंगे ताकि खाद्य सम्प्रभुता बनायी जा सके|
- जागरूकता बढ़ाएंगे ताकि कीटनाशक और जहरीले रसायनों का भूमि, जल और भोजन पर इस्तेमाल कम हो और उस कृषि अर्थव्यवस्था का भी पुरजोर विरोध करेंगे जो इस व्यवस्था का केंद्र बन गई है|

व्यापार और स्वास्थ्य

इस सम्मेलन में जिन देशों का प्रतिनिधित्व है उनमें से अधिकतर संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय संघ के निर्देशन में द्विपक्षीय या स्थानीय व्यापार एवं निवेश समझौतों पर या तो मुहर लगा चुके हैं या ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। व्यापार के ये करार बड़ी बहुदेशीय कंपनीयों को फायदा पहुंचाने पर केन्द्रित हैं। असल में ये सारे व्यापार समझौते आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं जो कि वस्तुओं के व्यापार के उदारीकरण के परे सेवाओं के उदारीकरण और बौद्धिक संपदा अधिकारों की अतिशय सुरक्षा, नियमों की समस्तरता और ऐसे नए विनियम बनाने पर केन्द्रित हैं जिससे बहुदेशीय कंपनीयों को निमंत्रक देशों के नियम और क़ानूनों से छूट मिल सके। इस नई शासन पद्धति के गहरे दुष्प्रभाव हैं जो लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बाधित करते हैं और उन सामाजिक स्थितियों को भी प्रभावित करते हैं जिनका लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है।

मुनाफ़े को लोगों के स्वास्थ्य के अधीन मानते हुए पी.एच.एम संकल्पित करता है कि:

- ऐसे व्यापार करार जो इस नवउदारवादी पद्धति को बढ़ावा देते हों उन पर हो रही वार्ता को रोकेगा और ऐसे समझौते जो स्थापित हो चुके हैं उनमें अपनी सहभागिता ख़त्म करेगा या ऐसे करारों को निरस्त करेगा|
- एक नई वैश्विक आर्थिक नीति के लिए कर्मबद्ध रहेगा जहाँ निम्न एवं माध्यम आय वर्ग वाले राष्ट्रों के प्रति सकारात्मक भेद हो, जहाँ मानवता का दृष्टिकोण स्थायी पारिस्थितिकी पर आधारित हो जिसका आधार बेहतर जीवन हो न कि मुनाफाखोरी|
- दवाओं के विनियमन में सुधारात्मक बदलाव हो जिसका आधार देशों की सम्प्रभुता हो और जो गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं सस्ती, दवाओं की प्रभावी इस्तेमाल की ओर केन्द्रित हो|

न्यायसंगत स्वास्थ्य व्यवस्था

पी.एच.एम सभी के लिए न्यायसंगत स्वास्थ्य और खुशहाली हासिल करने के लक्ष्य में प्राइमरी हेल्थ केयर (पी. एच. सी) के प्रति अपने संकल्प को दोहराता है। आज के दौर में यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ जन स्वास्थ्य वैश्विक स्तर पर संकट से जूझ रहा है। इस संकट के कई सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, राजनैतिक और परिवेष्टिक कारक हैं जो न्यायसंगत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं को एवं देशों के बीच और अंतर्देशीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं उन तक पहुँच को प्रभावित करते हैं । विश्व के कई हिस्सों में स्वास्थ्य तंत्र का कमजोर ढांचा, खराब गुणवत्ता एवं उसमे संसाधनों की कमी, ने रुग्णता और मृत्यु दर की एक अस्वीकार्य स्थिति उत्पन्न कर दी है। पी.एच.एम इस बात का भी संज्ञान लेता है कि स्वास्थ्य तंत्र बेहद जातिवादी, नस्लवादी व जेंडर आधारित हैं जिससे असमानताएं बढ़ जाती हैं|और इनके आधार पर होने वाले भेद-भाव के कारण विश्व भर में लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और देख-भाल पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जेंडर का स्वास्थ्य कर्मियों पर (should be गहरा)छाप है, जेंडर अथवा यौनिकता समाज में उनके स्थान, परिवेश और अनुभवों को प्रभावित करता है।

पी.एच.एम स्वास्थ्य सुविधाओं के निजीकरण की भी घोर निंदा करता है, बिमा योजनाओं के नाम पर लोगों को संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत लाने के सरकारी दावों (ख़ास कर एशिया और अफ्रीका में) की कठोर निंदा करता है जिनकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण और व्यापारीकरण हो रहा है। विश्व भर में सरकारी-निजी साझेदारी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स) और ठेकेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है| स्वास्थ्य सेवाएं भी इससे अछूती नहीं हैं, जबकि इसपे शोध और मौजूदा जानकारी साफ़ बताती है कि यह नीति बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में पूरी तरह से विफल रही है- इसके कारण असमानतायें बढ़ी है और लोगों के स्वास्थ्य और यहाँ तक कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि जन आन्दोलनों ने इसका कठोर विरोध किया है।

पी.एच.एम प्रस्ताव रखता है कि:

- हम इस दिशा में काम करेंगे कि अल्मा आटा घोषणा में वर्णित प्राथमिक स्वास्थ्य के आधार पर सरकार सुनिश्चित करे कि सभी को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं बिना किसी भेद-भाव के, सभी को सामान रूप से प्राप्त हों। सार्वभौमिक जन स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से निशुल्क हों, इसका व्यवस्था खर्च कर/टैक्स से हो और यह व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य पर केन्द्रित हो। समतामूलक और उत्कृष्ट सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएँ और स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करने का यह सर्वोत्तम उपाय है।
- स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की सरकारी नीति जो निम्न व मध्यम आय देशों में बुरी तरह से विफल रही हैं, एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण या सरकारी-निजी साझेदारी से जो स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित नहीं हो पा रही हैं, इनके बारे में सबूत प्रस्तुत करेंगे, ताकि यह बात लोगों तक पहुंचे| उन दावों का पर्दाफाश करेंगे जो कि देशों में नवउदारवादी नीतियां लागू करने के लिए इस्तेमाल किये जा रहे हैं|
- स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के विरुद्ध हो रहे आन्दोलनों और कार्यों का समुचित दस्तावेजीकरण करेंगे। इन सकारात्मक और प्रभावशाली आन्दोलनों की रणनीति से सीख लेते हुए स्वास्थ्य सेवा और प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए आन्दोलन तेज़ किए जायेंगे|
- कंपनीयों (कॉर्पोरेट) के क्रिया-कलापों की विश्व भर में निगरानी करने के लिए एक निगरानी समूह का गठन करेंगे जो दुनिया भर में फैले ऐसे निगरानी समूहों के साथ काम करे|
- स्वास्थ्य सेवाएं और सामजिक बदलाव सुनिश्चित करने में ज़मीनी स्तर पे कार्यरत कर्मियों के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे और उनको सही मेहनताना मिले और कार्यस्थल बेहतर बने, यह सुनिश्चित करेंगे|
- स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे और नवउदारवादी नीतियों का उनके काम के परिस्थितियों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस विषय में जागरूकता बढ़ाएंगे|
- स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा, बेहतर आय मिले और उनकी कार्य की परिस्थिति बेहतर हो इसकी पैरवी करेंगे। असंगठित और ठेका काम का स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है इस सम्बन्ध को भी उजागर करेंगे|

- स्वास्थ्य कर्मियों के संगठित होने एवं सामूहिक मोल-भाव कर सकने के अधिकार का समर्थन करेंगे और ऐसे प्रगतिशील ट्रेड यूनियन जो इन मुद्दों पर व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ काम कर रहे हों उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश करेंगे|

युद्ध एवं कलह, अनाधिकृत कब्जा एवं मजबूरन पलायन

मुनाफा कमाने की अति ललच और अमेरिका और यूरोप के साम्राज्यवादी देशों का लालच दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर, अकारण आक्रमण कर विश्व-भर में गरीबी और लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा कर रहा है। ये अन्य देशों को आर्थिक व राजनीतिक नीतियों, हथियारों व नशे के व्यापार और अप्रत्याशित स्तर पर प्राकृतिक संपदा का खनन कर अस्थिर और संकटग्रस्त बना रहे हैं। परिणामस्वरूप विश्व के कई हिस्सों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि लोग विस्थापन करने पर मजबूर हैं।

सैन्य कलह, नृवंश हत्या, जातीय हिंसा, विकास परियोजना, भूमि अधिग्रहण और जलवायु परिवर्तन के कारण मजबूरन पलायन आज के हमारे समाज की सच्चाई है जिसकी जड़ नवउदारवादी नीतियाँ है जिसने असमानता बढाने का काम किया है। यह सच है कि वैश्विक नवउदारवादी अर्थव्यवस्था स्थानीय आर्थिक पहल व संरचना को तहस-नहस कर देती है जो कि लोगों को विस्थापित होने और पलायन करने पर मजबूर करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

एक अंजान देश को पलायन करने पर मजबूर लोगों की एक बड़ी आबादी नागरिकता जैसे अपने मूलभूत अधिकार से भी वंचित हो जाती है। अंतर्देशीय पलायन के कारण भी लोग तंगहाल और परेशान होते हैं। उनके जीवन पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यद्यपि विस्थापन पूरी आबादी को प्रभावित करता है तथापि विस्थापित लोगों के व्यक्तिगत अनुभव भिन्न होते हैं और अकसर जेंडर-आधारित होता है| ये अनुभव व्यक्ति के मानसिक व यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

पी.एच.एम युद्ध, अनाधिकृत कब्जे और सैन्यकरण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव की घोर निंदा करता है व दोहराता है कि विस्थापन एवं विस्थापन सम्बन्धी नीतियाँ जो मानवाधिकारों का आदर नहीं करतीं, उनका लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। पी.एच.एम सैन्य व सुरक्षा उद्योग के हित समूहों की भी कठोर निंदा करता है, जिनके कारण कलह एवं युद्ध की स्थिति निरंतर बनी रहती है| ये दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण प्रदूषक और कार्बन उत्सर्जक हैं,जिनकी वजह से लोग मानसिक पीड़ा व असुरक्षा में जीवन यापन करने पर मजबूर हैं, जिसका खतरा लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार बना रहता है।

पी.एच.एम प्रस्ताव रखता है कि:

- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर दबाव बनाया जाए ताकि शांति और सौहार्द , द्वन्द समाधान, निशस्त्रीकरण और कब्जे का खात्मा करने एवं लोगों के आवागमन की आजादी और समतामूलक नीतियों की पैरोकारी की जा सके|

- स्थानीय एवं अन्तराष्ट्रीय जन संगठनों, मानवतावादी समूहों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संगठित किया जाए ताकि विस्थापित लोगों को त्वरित सहायता, राहत एवं स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके|
- स्थानीय सरकारों पर दबाव बनाया जाए कि विस्थापित लोगों को आपातकाल में पोषण, आवास, कपड़े और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए|
- सीमा-पार पलायन के मामलों में संयुक्त राज्य सरीखे प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रभावशाली समूहों के साथ एडवोकेसी कर बहु-पक्षीय दबाव बनाया जाए ताकि प्रतिनिधि देश इन विस्थापित लोगों को शरणार्थियों का दर्जा दें और वे सभी विशेषाधिकार दें जिसके वे हकदार हों|
- सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासियों और शरणार्थियों के स्वास्थ्य अधिकारों का सम्मान हो|
- करदाताओं के पैसे सैन्य, युद्ध और हमले सम्बन्धी शोध और विकास पर खर्च ना हो, इसके लिए अभियान किए जायें|

हमारे पीपल्स हेल्थ मूवमेंट का निर्माण

विशिष्ट विषयों पर हुए विमर्शों के आधार पर हमने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उन्हें हासिल करने के लिए हमें अपने पीपल्स हेल्थ मूवमेंट को और मजबूत करना होगा। एक वृहत वैश्विक दृष्टि और अपने वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय सहयोगियों की क्षमता का सही आंकलन कर हमें यह रणनीति तय करनी होगी और इसे अमल में लाना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम शोध और विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करें और इसका इस्तेमाल कर अधिकाधिक कार्यशालाओं का आयोजन करें ताकि और लोगों को सशक्त किया जा सके एवं उन्हें अभियान से जोड़ा जा सके, जो कि संघर्ष को आगे ले जाने में सहायक होगा। हमें ट्रेड यूनियनों, जन आन्दोलनों और उन संगठनों के साथ सम्बन्ध बनाने होंगे जो महिलाओं, खेतिहर मजदूर, अग्रगामी मजदूर, आदिवासी समुदायों और नौजवानों के अधिकारों की प्रतिनिधित्व करते हों।
अंततः यदि हम एक स्थायी एवं शक्तिशाली वैकल्पिक संस्कृति एवं वैकल्पिक संस्थान बनाना चाहते हैं तो हममे से हर एक को अपने साथियों के संघर्ष में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना होगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा।

मानवता और मातृतुल्य समाज के बेहतर भविष्य के लिए बस यही हमारी आशा की किरण है। तदनुरूप उन साथियों का बचाव करना एक अहम् जिम्मेदारी है जो कठिन एवं संकटपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जिन पर दमनकारी सरकारी तंत्र सबसे पहले हमला बोलता है।

हम पी.एच.एम के लोग स्वयं को इस घोषणापत्र के प्रति समर्पित करते हैं।